

6.11.20

पत्रावली पेश हुई। अभिकाषक अपीलार्थ एवं रेल्वे स. 1 उपरिबन्ध। अफिस
अपी. अपील को आगे नहीं चलाया जायते हैं और अपील को नोट प्रेस
में खारिज करवाना चाहते हैं। अभिकाषक रेल्वे स. 01 ने कहा कि अपील
नोट प्रेस की जाती है तो इसे कोई आयाति नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थ नोट प्रेस किए जाने से खारिज की जाती है।
पत्रावली लेसम शुभाल टोकल नम्बर से कम है।

राजस्थान रेल प्राधिकारी
अजमेर

Not cross

[Handwritten signature]

6/11/20